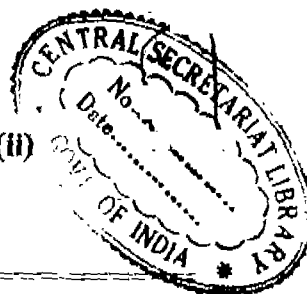


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 191] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1979/वैशाख 11, 1901
No. 191] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1979/VAISAKHA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1979

आवृत्ति

नियमित व्यापार निबंधन

का. अ. 239(अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 88)
के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा
निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश
की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 27वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा
दी जाए।

2. निर्धारित (नियंत्रण) आदेश, 1977 में—

- (1) खुला सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं. 77 के सामने प्रदर्शित प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
- (2) खुला सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं. 78(90) के बाव निम्नीलिखित उप-भण्ड जोड़ी जाएगी :—

“81-सी. मैक्सिमम।”

- (3) खुला सामान्य लाइसेंस-4 में क्रम सं. 23 और 24 के सामने कालम 4 में निम्नीलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, :—

“भारत का इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड”

- (4) अनुसूची 1, का भाग ख की क्रम सं. 88 के सामने वर्णित गए शब्द “रेलवे वेगन्स” और खुले सामान्य लाइसेंस-4 के कालम 2 में क्रम सं. 26 के सामने समरूप प्रविष्टि के बाद निम्नीलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“घाबी कोचिंग और लोकोमोटिव्स”

- (5) अनुसूची 1, भाग ख में निम्नीलिखित को क्रम सं. 4(ख)6 के बाव जोड़ा जाएगा :—

“4(ख)7—शेड बारासिंह—सींग (अर्ध-संसाधित)”

[सं. इ. (सी) ओ, 1977/ए एम(111)/(मिसिस सं. 19/1/79-ई 2 से जारी)]

का. वें. शेषाद्रि, मुख्य निबंधक, आयात-निर्धारित

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 1st May, 1979

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 239(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty-seventh Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

- (i) In OGL-3, the entry appearing against S. No. 77 shall be deleted.
- (ii) In OGL-3, the following sub-item shall be added after S. No. 78(90):—
“91—C. Maximum”.
- (iii) In OGL-4, in col. 4, against S. No. 23 and 24 the following shall be substituted :—
“Steel Authority of India Limited”.
- (iv) After the words “Railway Wagons” appearing against S. No. 88 of Part ‘B’ Schedule I, and corresponding entry in column 2 in OGL-4 against S. No. 26, the following shall be added :—
“passenger coaches and locomotives”.
- (v) In Part ‘B’ Schedule I, the following shall be added after S. No. 4(b)6 :—
“4(b)7—Shed stag-horns (semi-processed)”.

[No. E(C)O, 1977/AM(111)/(Issued from File No. 19/1/79-EU)]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

